न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 24/2016
दायर दिनांक : 18/07/2016
निर्णय दिनांक : 03/11/2025

उनवान

1 गणेश पिता हवाराम माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 बालू पिता जोधा माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
2 राजू पिता सोहन माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
3 लक्ष्मी पुत्री सोहन माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
4 पारस पुत्री सोहनलाल माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
5 बाली बाई बेवा सोहनलाल माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
6 सुखा पिता अंबा माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
7 भंवरी पुत्री अंबा माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
8 ख्याली बेवा अंबा माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर
9 उपपंजीयन, भूपालसागर
10 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगीलाल , अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री अशफाक अली, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी द्वारा बाबत इंद्राज दुरूस्ती एवं खातेदार अधिकार की घोषणात्मक डिक्री तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया है। जो सुदृढ तथ्यो पर आधारित होने के कारण अवश्य ही डिक्री होगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजियात मौजा गुलाबपुरा पटवार क्षेत्र कानाखेडा के खाता स0 16 हाल आ0स0 641 रकबा 0.38 है0 आ0न0 642 रकबा 0.41 है0 खाता स0 93 हाल आ0स0 643 रकबा 0.03 है0 आ0स0 650 रकबा 0.06 है0 आ0स0 651 रकबा 0.07 है0 आ0स0 663 रकबा 0.03 है0 आ0स0 655 रकबा 0.04 है0 आ0स0 663 रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 है0 खाता स0 94 हाल आ0स0 644 रकबा 0.31 है0 आ0स0 645 रकबा 0.39 है0 आ0स0 654 रकबा 0.54 है0 आ0स0 661 रकबा 0.25 है0 आ0स0 662 रकबा 0.23 है0 आ0स0 669 रकबा 0.06 है0 आ0स0 670 रकबा 0.15 है0 आ0स0 671 रकबा 0.02 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.05 है0 खाता संख्या 51 हाल आ0स0 649 रकबा 0.61 है0 आ0स0 657 रकबा 0.19 है0 आ0स0 658 रकबा 0.02 है0 आ0स0 660 रकबा 0.41 है0 आ0स0 666 रकबा 0.20 है0 आ0स0 667 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.48 है0 खाता स0 111 हाल आ0स0 652 रकबा 0.61 है0 आ0स0 656 रकबा 0.19 है0 आ0स0 659 रकबा 0.39 है0 आ0स0 665 रकबा 0.01 है0 आ0स0 668 रकबा 0.01 है0 किता 5 कुल रकबा 1.21 है0 खाता स0 112 हाल आ0न0 664 रकबा 0.24 है0 के साबिक आराजी न0 281 रकबा 3 बिस्वा, आ0न0 282 रकबा 4 बिघा 12 बिस्वा, आ0न0 283 रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा, आ0न0 284 रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा, आ0न0 288 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा, आ0न0 289 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा, आ0न0 290 रकबा 3 बिस्वा, आ0न0 291 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, आ0न0 292 रकबा 2 बिस्वा, आ0न0 293 रकबा 8 बिस्वा, आ0न0 294 रकबा 8 बिस्वा, [illegible] 295 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आ0न0 296 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0न0 297 रकबा 1 [illegible] बिस्वा, आ0न0 298 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ0न0 299 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आ0स0 300 रकबा 1 [illegible] 5 बिस्वा, आ0न0 301 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आ0न0 302 रकबा 4 बिस्वा, आ0न0 303 रकबा [illegible] बीघा 12 बिस्वा, आ0न0 304 रकबा 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:30 IST
Reason: SelfAttested

10

संवत 1980 की मौजा गुलाबपुरा परगना जाशमा के आ0न0 213 रकबा 22 बिघा 11 बिस्वा थे जो प्रार्थी के दादा कजोडिया माली की खातेदारी में दर्ज थी जिसका राजरा निम्नानुसार है :— कजोडिया पिता लखमा हिरा(वरदीचंद, कनकमल) सोराम(गणेश कंकु सुंदर) उंकार (तुलसीराम, शंकर, रामी हिरी कैलाशी गीता) 2 में वर्णित आराजियात प्रार्थी की पैतृक संपति है तथा पारिवारिक राजरे के अनुसार कजोडिया पिता लखमा के खातेदारी एवं कबजेकाश्त की आराजियात थी जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार आ0न0 213 रकबा 22 बिघा 11 बिस्वा आराजियात स्थित थी उक्त संपूर्ण कालम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में अप्रार्थी स0 1 से 8 तक का कोई हक एवं अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थी सं 1 से 8 तक के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने खातेदारी में दर्ज करा ली जो गलत है। जबकि अप्रार्थीगण को उक्त आराजियात को अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। इसलिए पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जाकर के अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित कुलिया आराजियात को अप्रार्थीगण किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत रहन नही करे तथा अप्रार्थी स0 9 वादगत आराजियात से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 10 राजस्व रेकार्ड में कोई मुन्तिकिल नही करे तथा अप्रार्थीगण वादगत आराजियात से प्रार्थी का कब्जा नही हटावें। ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 2 में वर्णित कुलिया आराजियात को अप्रार्थी स0 1 से 8 तक किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत रहन नही करे तथा प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात से प्रार्थी का कब्जा नही हटावे एवं अप्रार्थी स0 9 प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे एवं अप्रार्थी स0 10 प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 की ओर से वकील श्री अशफाक अली ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सजरा गलत पेश किया, मूल पुरूष लखमाजी से लगाकर आज तक के वारिसों का वर्णन नहीं किया है। हीरा की मोहनी, जेती, तेजी लडकियां है जिनका वर्णन भी नहीं किया है। प्रार्थी ने जो रिकार्ड पेश किया है वह सत्यापित कर उसकी सत्यता एवं वास्तविकता स्वयं साबित करे। सही तथ्य यह है कि मूल पुरूष लखमा जी थे जिनके तीन पुत्र कजोडिया, जीतू, जोधा जी थे हम अप्रार्थीगण 1 से लगायत 8 लखमाजी के पुत्र जीतू के पुत्र अम्बा के वारिस हैं। अम्बाजी के पुत्र सोहन, सुखा है व भंवरी ख्यालीबाई पुत्री है इसी तरह लखमा के पुत्र जोधा के एक मूल पुरूष लखमाजी के सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है और न्यायालय आप में झूठा कथन किया है पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है साथ ही जवाब में अन्य तथ्य अंकित किये।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:30 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर